समाहरणालय, गढ़वा।

(जिला नजारत शाखा)

अल्पकालीन निविदा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए समाहरणालय, गढ़वा स्थित विभिन्न राजस्व कार्यालयों एवं अंचलों हेतु बाह्य स्रोत (outsourcing) के माध्यम से विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने हेतु मुहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। ली जाने वाली विभिन्न सेवाओं की विवरणी निम्न है:–

क्र0 सं0	पद नाम	रिक्तियों की सं0	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव / योग्यता	अभ्युक्ति
1	अमीन	12	10 + 2 उत्तीर्ण एवं अमानत	संबंधित कार्यालय / संस्थाओं में 5 (पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत अमीनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	outsourcing पर लिये जाने वाले कर्मियों के संबंध में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभागीय अधिसूचना सं0 914 दिनांक 03.09.2020 एवं समय–समय पर निर्गत निदेश लागू होंगे। तदनुसार निर्धारित राशि से कम भुगतान नहीं किया जायेगा।
2	चालक	--	मैट्रिक उत्तीर्ण	ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही किसी कार्यालय / संस्था में तीन वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।	
3	सफाई कर्मी	27	—	कार्यालय / संस्थानों में तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	
4	जेनरेटर ऑपरेटर	1	मैट्रिक उत्तीर्ण	इलेक्ट्रीक के संबंध में किसी कार्यालय / संस्था में तीन वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।	
5	खानशामा	2	मैट्रिक उत्तीर्ण	कार्यालय / संस्थानों में तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	
6	माली	2	मैट्रिक उत्तीर्ण	कार्यालय / संस्थानों में तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	
7	केयर टेकर / सुपरवाईजर	2	मैट्रिक उत्तीर्ण	कार्यालय / संस्थानों में तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	
8	कक्ष सेवा परिचायक	4	मैट्रिक उत्तीर्ण	कार्यालय / संस्थानों में तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	

कर्मचारियों की कोटि	न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें	न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरें
अकुशल	316.93	8240.18
अर्द्धकुशल	338.06	8789.56
कुशल	436.67	11353.42

अतः उक्त के आलोक में जिला स्तरीय राजस्व कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों हेतु प्रशिक्षित, सुयोग्य एवं दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने हेतु आउटसोर्सिंग कम्पनी से मुहर बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1. निविदाकर्ता का पदनाम : उपायुक्त, गढ़वा
2. निविदा प्राप्ति की तिथि : दिनांक 16 / 10 / 2020 से 03 / 11 / 2020, 3:00 बजे अपराह्न तक
3. निविदा खोलने की तिथि / समय : दिनांक 03 / 11 / 2020 समय 4:00 बजे अपराह्न
4. निविदा खोलने का स्थान : उपायुक्त महोदय का प्रकोष्ठ
5. निविदा से संबंधित शर्तें जिला के वेबसाईट www.garhwa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें :–

1. आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
2. बाह्य स्रोत (outsourcing) पर लिये जाने वाले कर्मियों का न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए तथा सेवानिवृत कर्मियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होगी।
3. निविदा दो भागों में देना अनिवार्य होगा– "A" तकनीकि बीड एवं "B" वित्तीय बीड। दोनों भागों को अलग–अलग लिफाफें में भरकर उसे बड़े लिफाफे में भरकर मुहर बंद करना होगा तथा लिफाफे के उपर आउटसोर्सिंग हेतु निविदा वर्ष 2020–21 तथा निविदादाता का पूर्ण नाम एवं पता साफ–साफ अंकित कर जमा करना होगा।
4. तकनीकि बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड में संलग्न किये जाने वाले कागजातों एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है:–

"A" तकनीकि बीड की शर्तें–

5. संस्था/व्यक्ति का GST पंजीकरण।
6. विगत तीन वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड।
7. संस्था/व्यक्ति का कम्पनी अधिनियम–1956 अन्तर्गत पंजीकरण/सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अन्तर्गत पंजीकरण /संबंधित संस्था का प्रोपाराईटरशीप।
8. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत मैन पावर प्रोवाईडर/हाउस किपिंग हेतु पंजीकरण।
9. कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
10. कर्मचारी बीमा निगम का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
11. विगत तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट एवं आयकर रिटर्न दाखिल संलग्न करना आवश्यक है।
12. निविदादाता को झारखण्ड राज्य में सरकारी विभागों/संस्थानों में कम से कम वार्षिक 50 व्यक्तियों की सेवा देने से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा।
13. झारखण्ड राज्य के अन्दर सरकारी संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
14. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत संलग्न करना आवश्यक है।
15. संस्था के प्रोपराईटर का अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत।
16. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0–1,00,000/–(एक लाख) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से देय होगा। अग्रधन/जमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल एजेंसी को छोड़कर अन्य एजेंसी को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

"B" वित्तीय बीड की शर्तें :–

1. निविदादाता एजेंसी को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग दर अंकित करना होगा।
2. निविदादाता एजेंसी को झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर अंकित करना होगा। उससे कम दर अंकित करने पर उनका दर मान्य नहीं होगा।
3. विभिन्न पदों के लिए विहित प्रपत्र में दरों के ब्रेकअप का विवरण कम्प्यूटर द्वारा टाईप होना चाहिए। किसी प्रकार का कटिंग/ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा।
4. दर का ब्रेकअप निर्धारित विहित प्रपत्र में देना होगा।

अमीन, चालक, सफाई कर्मी, जेनरेटर ऑपरेटर आदि की सेवा प्राप्त करने हेतु वित्तीय बीड का विहित प्रपत्र निम्न प्रकार है:–

SL.N.	विवरण	अमीन	सफाई कर्मी	चालक	जेनरेटर ऑपरेटर	खानशामा	माली	केयर टेकर/ सुपरवाईजर	कक्ष सेवा परिचायक
		कुशल	अकुशल	कुशल	कुशल	अर्द्धकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अर्द्धकुशल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Basic Payment								
2	VDA								
3	Total								
4	ESIC								
5	EPF								
6	Service Charge								
7	Sub-Total								
8	GSt								
9	Grand Total								
10	Net payment of employee								

"C" अन्य शर्तें :–

1. एक या एक से अधिक एजेंसी को पदानुसार कार्य विभक्त किया जा सकता है।
5. चयन समिति के समक्ष सभी निविदादाता को PPT (Power Ponit Presentation) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में चयनित एजेंसी को अपने कर्मियों को श्रम कानून, Rate contract एवं अन्य प्रावधानों के तहत निर्धारित राशि बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करना होगा किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान मान्य नहीं होगा।
7. निविदा मे चयनित एजेंसी को अपने कर्मियों से EPF एवं ESI मद में कटौती की गयी राशि प्रत्येक माह 10 तारीख तक संबंधित कर्मी के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। जमा विवरणी अगली माह की 15 तारीख तक कार्यालय में जमा करना होगा।
8. चयनित एजेंसी एवं उनके कर्मियों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
9. निविदादाता एजेंसी के कर्मी यदि बीच में कार्य छोड़ देते हैं अथवा अपरिहार्य कारणवश उन्हें कर्त्तव्य से हटाया जाता है तो एजेंसी को तत्काल उसके स्थान पर अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करनी होगी ताकि कार्य बाधित न हो।
10. निविदादाता एजेंसी के अधीन कार्यरत कर्मी सरकारी नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार का आन्दोलन/हड़ताल नहीं करेंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित कर्मी से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
11. निविदादाता एजेंसी के कर्मियों की किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए या फौजदारी मामले में संलिप्त होने पर जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा और न ही इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगा।
12. झाररखण्ड सरकार से भविष्य में किसी प्रकार का दिशा–निर्देश/मार्ग दर्शन प्राप्त होने पर उसे लागू करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

13. कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित एजेंसी को अधियाचना के अनुरूप कर्मी उपलब्ध करना होगा।
14. किसी प्रकार का विवाद होने पर विवाद के निपटारे हेतु न्यायिक क्षेत्र गढ़वा होगा।
15. चयनित निविदादाता एजेंसी के साथ दो वर्ष का एकरारनामा (Agreement) किया जायेगा।
16. कार्य में लापरवाही बरतने, कार्य से असंतुष्ट होने, निविदा एवं एकरारनामा के शर्तों का पालन नहीं करना एवं गंभीर आरोप सिद्ध होने पर नियमानुसार किसी भी समय एकरारनामा को समाप्त किया जा सकता है।
17. बिना कारण बताये निविदा को संशोधित/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. वैसे निविदादाता, जो तकनीकि बीड के मूल्यांकन में असफल पाये जाते हैं, वे अपना EMD राशि (बैंक ड्रॉफ्ट) उसी दिन वापस प्राप्त कर सकते हैं। ससमय EMD राशि (बैंक ड्रॉफ्ट) वापस नहीं लेने की स्थिति में कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
19. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर श्रम अधीक्षक, गढ़वा से सेवा प्रदाता (श्रमिक) उपलब्ध कराने हेतु लेबर अनुज्ञप्ति/प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।

ह0/–
उपायुक्त,
गढ़वा।

ज्ञापांक 171 /नजा0, दिनांक 13.10.2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गढ़वा को जिले के official Website में आज ही Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को स्थानीय एवं राज्य स्तरीय मुख्य हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/20

उपायुक्त,
गढ़वा।